शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

एवं

राज्य नियम, 2011

के प्रावधानों के अन्तर्गत

निजी विद्यालयों के लिये दिशा-निर्देश

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

School Education Department

F. 21 (19) Edu.-1/E.E./2009 Jaipur, the 29th March, 2011

-: NOTIFICATION :-

In pursuance of clause (e) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as "child belonging to weaker section", namely :-

a) A child whose parents are included in the list of Below Poverty Line families (both Central and State lists) prepared by the Rural Development Department/ Urban Development Department of the State Government, and

b) A child whose parents' annual income does not exceed ₹ 2.50 lacs.

By Order of the Governor,

Sd/-

(Ashok Sampatram)

Principal Secretary to Govt.

1. पृष्ठभूमि

राज्य में शिक्षा के विकास की दृष्टि से निजी शिक्षण संस्थाओं का योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा है। देश की आजादी से पूर्व राजस्थान की अनेक रियासतों में निजी शिक्षण संस्थाऐं संचालित थीं तथा निःस्वार्थ सेवा भावना से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही थीं।

राज्य सरकार ने भी निजी संस्थाओं के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए 1989 एवं 1993 में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 अधिसूचित किये। इनके प्रभाव में आने से राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्तमान में राज्य में लगभग 30 हजार निजी विद्यालय संचालित हैं। ये शिक्षण संस्थाऐं मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं :-

1. **अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाऐं** – ये वो संस्थाऐं हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित अनुपात में अनुदान दिया गया। वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को राजस्थान ग्राम्य शिक्षा सेवा नियम बनाकर सरकारी सेवा में समायोजित कर लिया जिसके परिणामस्वरूप अब अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की संख्या राज्य में नगण्य है।
2. दूसरी प्रकार की संस्थाऐं गैर सरकारी संस्थाऐं हैं। इस श्रेणी की संस्थाओं को किसी भी प्रकार का राज्य सरकार से अनुदान नहीं दिया गया। इन्होंने अपना विकास स्वयं के आर्थिक स्रोत एवं अध्ययनरत बालकों से प्राप्त होने वाली फीस के माध्यम से किया।

भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को पारित करते समय भी अधिनियम में निजी शिक्षण संस्थाओं के योगदान को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है तथा यह अपेक्षा की गई है कि राज्य में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाऐं अपने सामाजिक दायित्व की दृष्टि से समाज के कमजोर वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों की शिक्षा में एक निर्धारित सीमा तक अपना योगदान प्रदान करेंगे। इसी के अनुसार राज्य सरकार ने भी अपने नियम राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 अधिसूचित कर दिये हैं जिसके अनुसार राज्य में कोई भी गैर सरकारी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं होगा तथा उन्हें कक्षा 1 से प्रारम्भ करते हुए क्रमशः आने वाले वर्षो में कक्षा 8 तक विद्यालय की निर्धारित सीटों के कम से कम 25 प्रतिशत बालकों को सरकार द्वारा अधिसूचित समाज के कमजोर वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश देना होगा।

अधिनियम की इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को क्रियान्वित किये जाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने शैक्षिक सत्र 2012-13 से इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। ये समस्त अधिसूचना/परिपत्र/दिशा-निर्देश वैबसाईट www.rajssa.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसी के साथ राज्य सरकार ने समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस संदर्भ में निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्तियां प्रकाशित की हैं।

उपरोक्त प्रयासों के बावजूद भी कतिपय संस्थाओं द्वारा प्रवेश प्रक्रिया, फीस के पुनर्भरण, आदि के संबंध में दूरभाष आदि पर जानकारी लेने के प्रयास किये जाते हैं। अतः इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए निजी संस्थाओं के उपयोग के लिए कुछ सामान्य दिशा-निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं। ये दिशा-निर्देश मूल अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्रों के आधार पर संकलित किये गये हैं। यदि इनमें और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश/ आदेश में कोई विसंगति लगे तो मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश ही मान्य होंगे।

2. प्रवेश प्रक्रिया

❖ प्रत्येक निजी विद्यालय को अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 के अनुसार कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा (जैसी भी स्थिति हो) में विद्यालय की सीटों की संख्या का 25 प्रतिशत सीटों पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित असुविधाग्रस्त समूह एवं कमजोर वर्ग (Disadvantaged Group ad Weaker Section) के बालकों को प्रवेश देना होगा। अतः स्पष्ट है कि अब प्रत्येक विद्यालय को कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा, जैसी भी स्थिति हो, की सीटों की संख्या निर्धारित करनी होगी जैसा कि अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) में उल्लेखित किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

धारा 12 (1) (ग) : धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट (Specified) कोई विद्यालय पहली कक्षा में, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की उसकी पूरा होने तक व्यवस्था करेगा :

परन्तु यह और कि जहां धारा 2 के खंड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहां खंड (क) से खंड (ग) के उपबंध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश पर लागू होंगे।

उपरोक्त धारा के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन विद्यालयों में प्रवेश, पूर्व प्राथमिक कक्षा से प्रारम्भ हो रहा है वहां पर बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षा में ही प्रवेश लेना होगा लेकिन यहां पर यह भी उलेखनीय है कि प्रवेश के समय बालक की आयु का निर्धारण पूर्व प्राथमिक कक्षा के स्तर के अनुसार विद्यालय द्वारा किया जायेगा।

उदाहरण स्वरूप :- यदि किसी विद्यालय में 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा है तो वहां पर 3 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बालक प्रवेश योग्य माने जायेंगे जिससे कि 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक वे बालक पूर्व प्राथमिक कक्षा पूर्ण कर लें तथा कक्षा 1 में प्रवेश के समय उनकी आयु अधिनियम 2009 के अनुसार 6 वर्ष की हो जाये।

❖ उपरोक्त वर्णित 25 प्रतिशत सीटों के संबंध में असुविधाग्रस्त वर्ग और कमजोर वर्ग राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार अधिसूचित किये गये हैं :-

(1) असुविधाग्रस्त समूह में निम्न सम्मिलित हैं :-

(i) अनुसूचित जाति

(ii) अनुसूचित जनजाति

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो।

(iv) पीडब्लूडी एक्ट 1995 की धारा 2 में परिभाषित निःशक्तजन (Disabled)

(2) कमजोर वर्ग में निम्न सम्मिलित हैं :-

(i) वह बालक जिसके माता-पिता राज्य के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची (केन्द्र एवं राज्य सूची) में सम्मिलित हैं।

(ii) वह बालक जिसके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं है।

❖ उपरोक्त वर्गों के बालकों को प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया जायेगा। वर्तमान में व्यवस्था के अनुसार इसके लिए संबंधित तहसीलदार सक्षम अधिकारी है।

❖ निःशक्तता से संबंधित बालकों के लिए प्रमाण पत्र पीडब्लूडी एक्ट के अन्तर्गत घोषित सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

❖ बालक की आयु के संबंध में प्रमाण पत्र, राज्य नियम 12 के अनुसार मान्य होगा जिसमें अस्पताल में कार्यरत ए.एन.एम. का रजिस्टर/आंगनबाड़ी का रिकार्ड/माता-पिता अथवा गार्जियन द्वारा की गई घोषणा भी आयु के प्रमाण के रूप में प्रवेश हेतु स्वीकार्य होगी।

❖ निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर सत्र 2012-13 के लिए प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश 3.11.2011 को प्रसारित कर दिये हैं। इन निर्देशों के साथ निजी विद्यालयों के उपयोग के लिए आवश्यक परिपत्र भी संलग्न किये गये हैं।

❖ प्रवेश के लिए विद्यालय द्वारा आवेदन जारी करने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की तिथि एवं लॉटरी निकाले जाने की तिथि पूर्व में ही घोषित की जायेगी।

❖ प्रवेश के लिये आवेदन पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं गुलाबी रंग के प्रपत्र में प्राप्त किये जायेंगे तथा इनका अभिलेख एक अलग रजिस्टर में संधारित किया जायेगा।

❖ इन आवेदन पत्रों का एक अलग रजिस्टर में पंजीयन होगा तथा प्राप्ति रसीद अभिभावक को दी जायेगी।

❖ **विद्यालय परिक्षेत्र** - राज्य नियमों के नियम 10 के अनुसार निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिये ग्रामीण क्षेत्र विद्यालय की संबंधित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के लिये संबंधित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका का क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

❖ यदि विद्यालय परिक्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका से प्रवेश लेने वाले बालकों के आवेदन पत्र निर्धारित सीटों से अधिक हैं तो उस गांव/वार्ड के बालकों को प्राथमिकता दी जायेगी जिसमें वह विद्यालय स्थित है। जैसा कि राज्य नियम 2011 के नियम 10 (3) में उल्लेखित है :-

नियम 10 (3) : धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार किये गये प्रवेशों के प्रयोजनों के लिए आसपास का क्षेत्र या सीमाऐं संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद/यथास्थिति, नगर निगम, जिसके भीतर वह विद्यालय स्थित है, की भौगोलिक सीमाएं होंगी :-

परन्तु यदि किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के लिए स्थानों की संख्या से अधिक हो तो वरीयता उस गांव/नगर पालिका वार्ड, जिसमें ऐसा विद्यालय स्थित है, के बालकों को दी जायेगी।

- उपरोक्त नियम के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रत्येक विद्यालय को पहले प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी करनी होगी जिसमें विद्यालय से संबंधित वार्ड के आवेदन पत्रों की अलग से सूची बनायी जायेगी। यदि यह सूची निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक है तो लॉटरी इसी सूची के आधार पर निकाली जायेगी और यदि यह सूची निर्धारित सीटों से कम है तो फिर परिक्षेत्र के अन्य वार्ड/गांव के बालकों को भी सम्मिलित करना होगा।
- निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रवेश कार्य पात्र आवेदकों में से लॉटरी के द्वारा सम्पन्न होगा। यह लॉटरी पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा निकाली जायेगी। लॉटरी की तिथि विद्यालय द्वारा पूर्व में घोषित की जायेगी जिससे संबंधित अभिभावकों/बालकों व अन्य संबंधित अधिकारियों को लॉटरी के समय उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो सके।

उपरोक्त लॉटरी प्रक्रिया को निम्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है :-

उदाहरण 1 : एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित हैं तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

(i) विद्यालय की पूर्व प्राथमिक कक्षा में सीटों की संख्या = 40

(ii) अधिनियम 2009 के अनुसार 25: सीटों की संख्या = 10

(iii) ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र = 50

(iv) उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन = 30

(v) ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन = 20

उपरोक्त विवरण के आधार पर लॉटरी के लिये पात्र आवेदन 30 माने जायेंगे तथा लॉटरी द्वारा इन 30 में से ही 10 बालकों का चयन किया जायेगा क्योंकि नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित गांव के

छात्रों को प्राथमिकता देनी है। अतः अन्य गांवों/ढाणियों से प्राप्त 20 आवेदन पत्र लॉटरी के लिए पात्र नहीं हैं।

यही उदाहरण शहरी क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा।

उदाहरण 2 : एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित हैं तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :–

(i) विद्यालय की पूर्व प्राथमिक कक्षा में सीटों की संख्या = 60

(ii) अधिनियम 2009 के अनुसार 25: सीटों की संख्या = 15

(iii) ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र = 80

(iv) उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन = 10

(v) ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन = 70

उपरोक्त विवरण के आधार पर पहले विद्यालय से संबंधित गांव से प्राप्त समस्त 10 बालकों को निर्धारित सीटों की संख्या 15 के विरूद्ध चयनित किया जायेगा। शेष रही 5 सीटों पर प्रवेश के लिये विद्यालय से संबंधित गांव के अतिरिक्त अन्य गांव/ढाणी के 70 आवेदकों को लॉटरी के योग्य घोषित किया जायेगा तथा इन 70 में से लॉटरी द्वारा 5 सीटों को भरा जायेगा। इस प्रकार 15 सीटों पर 10 छात्र विद्यालय से संबंधित गांव से तथा 5 छात्र शेष ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से चयनित होंगे।

यही उदाहरण शहरी क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा।

उदाहरण 3 : शहरी क्षेत्र के एक निजी विद्यालय किसी वार्ड में स्थित है। नगर पालिका में कुल 16 वार्ड हैं जिनमें से यह विद्यालय वार्ड नम्बर 7 में स्थित है। विद्यालय में अधिनियम के अनुसार आरक्षित सीटों की संख्या एवं प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु कुल सीटों की संख्या = 80

(ii) अधिनियम के अनुसार 25: आरक्षित सीटों की संख्या = 20

(iii) नगर पालिका के समस्त वार्डों से प्राप्त आवेदन पत्र = 17

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 20 सीटों के विरूद्ध सम्पूर्ण नगर पालिका परिक्षेत्र से मात्र 17 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः अन्यथा पात्र पाये जाने पर इन सभी बालकों का प्रवेश विद्यालय में होगा। शेष रही 3 सीटों के लिए पुनः प्रयास करके पारदर्शी तरीके से इन सीटों को भरना होगा। इन्हें भरने के लिए भी उक्तानुसार दी गई पारदर्शी

प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

यही उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा।

उदाहरण 4 : बड़ी ग्राम पंचायतें/नगर पालिकाऐं/नगर परिषद/नगर निगम जिनके परिक्षेत्र में एक से अधिक निजी विद्यालय हैं वहां पर अभिभावकों को यह विकल्प होगा कि वे चाहे जिस विद्यालय के लिये आवेदन करें। ऐसी स्थिति में अभिभावक एक से अधिक विद्यालयों में भी आवेदन कर सकेंगे। यहां यह भी सम्भव है कि उपरोक्त उदाहरणों के अनुसार दी गई प्रवेश प्रक्रिया अपनाने से एक बालक का चयन एक से अधिक विद्यालयों में हो जाये। अतः ऐसे विद्यालयों के लिये लॉटरी के दिन आरक्षित सीटों की संख्या के बराबर क्रमानुसार एक आरक्षित सूची भी घोषित करनी होगी जिसका उपयोग भविष्य में रिक्त रही सीटों के लिए पूर्ण पारदर्शी तरीके से विद्यालय द्वारा किया जायेगा।

- लॉटरी निकाले जाने के बाद चयनित बालकों की सूची विद्यालय की वेबसाईट/नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा अभिभावकों को इसकी लिखित सूचना प्रेषित की जायेगी।
- विद्यालय में प्रवेश हेतु शेष 75 प्रतिशत स्थानों के लिए प्रत्येक विद्यालय को अपनी एक तार्किक एवं पारदर्शी नीति घोषित करनी होगी जिसे वह विद्यालय अपनी वेबसाईट/प्रोसपैक्टस/नोटिस बोर्ड पर प्रसारित करेगा।
- विद्यालय में प्रवेश लेने वाले किसी भी बालक अथवा अभिभावक की समीक्षा (स्क्रीनिंग) एवं प्रवेश हेतु कैपिटेशन फीस लेना प्रतिबंधित किया गया है। कृपया देखें अधिनियम की धारा 13–

(1) कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संगृहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रहेगा।

(2) कोई विद्यालय या व्यक्ति, यदि उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में–

(क) प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस के दस गुना तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(ख) किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से जो पहले उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रूपए तक और पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए जो 50 हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

इसी आशय का उल्लेख राज्य नियम 10 (5) में भी किया गया है–

(3) कोई विद्यालय या व्यक्ति, बालक को प्रवेश देते समय, कोई भी केपिटेशन फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता/संरक्षक को को किसी स्क्रीनिंग के अध्यधीन नहीं रखेगा।

3. शुल्क का पुनर्भरण

❖ निजी संस्थाओं में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों की फीस के पुनर्भरण की व्यवस्था राज्य नियम 11 में दी गई है जो निम्न प्रकार है:-

(1) राज्य सरकार द्वारा धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप खण्ड (प) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों, ओर केन्द्रीय सरकार, ओर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय (Total Annual Expenditure incurred) सभी ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित करने पर, राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रति-बालक-व्यय होगा।

स्पष्टीकरण : प्रति-बालक-व्यय का अवधारण करने के लिए धारा 2 खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालयों ओर ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपगत किया गया व्यय सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति (Reimbursment) के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

(3) राज्य द्वारा उपगत प्रति-बालक-व्यय, राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा, प्रत्येक वर्ष संगणित किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या सचिव से अनिम्न रैंक का उसका प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य होगा। गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा इस समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। समिति इन नियमों के प्रवर्तन में आने के पश्चात तीन मास के भीतर और तत्पश्चात आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनों के लिए प्रति-बालक-व्यय के निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष मई मास में बैठक करेगी।

(4) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालयों में धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालकों के संबंध में फीस की प्रतिपूर्ति के लिए समस्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को समिति का विनिश्चय संसूचित करेगा।

(5) प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को की जायेगी। अप्रेल से अगस्त की कालावधि के लिए पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में की जायेगी और सितम्बर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक की कालावधि के लिए अन्तिम प्रतिपूर्ति जून के अन्त में की जायेगी।

(6) कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह (Weaker Section and Disadvantaged Group) के बालकों के सम्बन्ध में प्रति-बालक-व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला धारा 2 खण्ड (ढ) उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय, अपना दवा विद्यालय में प्रवेश दिये गये कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। दावा प्रत्येक वर्ष अगस्त और अप्रेल मास में प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अन्तिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा।

❖ पुनर्भरण के प्रस्ताव प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रस्ताव विद्यालयों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को प्रेषित किये जायेंगे।

❖ शुल्क के पुनर्भरण के कार्य का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर बीईईओ से प्राप्त प्रस्तावों एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित करने का दायित्व भी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा का होगा।

❖ पुनर्भरण प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी होगी। इसमें संस्था को यह परिवचन देना होगा कि –

1. 25 प्रतिशत की सीमा में किये गये बालकों का प्रवेश कार्य पूर्णतया विभागीय निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से किया गया है।
2. बालकों के माता-पिता एवं अभिभावकों से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया गया है और न ही सत्र के दौरान किया जायेगा।
3. इस संबंध में किसी प्रकार की विसंगति अथवा अन्यथा बात प्रमाणित होती है तो शिक्षा विभाग को संस्था के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

❖ उपरोक्त विवरण के आधार पर शुल्क के पुनर्भरण का पंचांग निम्न प्रकार निर्धारित किया जा सकता है :–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
1.	संस्था द्वारा बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक) को प्रस्ताव प्रेषित करना	30 अप्रेल तक	30 अगस्त तक
2.	बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक) द्वारा परीक्षणोपरांत प्रस्ताव डीईईओ को प्रेषित करना	31 जुलाई तक	31 दिसम्बर तक
3.	डीईईओ द्वारा समेकित प्रस्ताव निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को भेजना	31 अगस्त तक	31 जनवरी तक
4.	निदेशालय द्वारा बजट आवंटन	30 सितम्बर तक	28 फरवरी तक
5.	संस्थाओं के खाते में राशि स्थानान्तरण	31 अक्टूबर तक	30 जून तक

4. निजी विद्यालयों को मान्यता देना/मान्यता वापिस लेना

- राज्य में अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व निजी शिक्षण संस्थाऐं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के अधीन संचालित थी।
- इन नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे।
- अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 लागू होने पर उपरोक्त नियम 1993 में आवश्यक संशोधन जून 2011 में अधिसूचित किये जा चुके हैं।
- अधिनियम 2009, राज्य नियम 2011 एवं निजी शिक्षण संस्था नियम, 1993 के अनुसार राज्य में अब कोई भी निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं होगा। यदि पूर्व से कोई विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है तो उसे भी अब मान्यता लेनी होगी।
- प्रतिवर्ष राज्य सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए मान्यता का कार्यक्रम प्रसारित करती है। उसी के अनुसार नवीन मान्यता/विद्यालय क्रमोन्नति के लिए आवेदन करना होगा।
- अब विद्यालयों को मान्यता अधिनियम 2009 की अनुसूची में उल्लेखित मान एवं मानकों (Norms and Standards) के पूरा करने पर ही दी जा सकेगी। इससे स्पष्ट है कि अब मान्यता लिये जाने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण होगा।
- अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व के मान्यता प्राप्त (स्थायी अथवा अस्थायी) विद्यालयों को निर्धारित प्रपत्र में स्व घोषणा मान्यता प्रदान करने के लिए अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। स्वघोषणा प्रस्तुत करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम 2009 की अनुसूची में वर्णित मान एवं मानकों के संदर्भ में स्वघोषणा का परीक्षण करवाया जायेगा।
- जो विद्यालय मान एवं मानकों के आधार पर सही पाये जायेंगे उन्हें इस आशय का पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया जायेगा लेकिन जो वर्तमान विद्यालय मान एवं मानकों की पूर्ति नहीं करते हैं उन्हें दिनांक 31.3.2013 तक मान एवं मानक पूर्ण करने का नोटिस दिया जायेगा। ये मान और मानक उन्हें समय पर पूर्ण करने होंगे अन्यथा अधिनियम 2009 के अनुसार शास्ति के पात्र होंगे।
- मान्यता देने एवं मान्यता वापिस लेने की प्रक्रिया राज्य नियम 14 एवं 15 सपठित राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 में जारी संशोधन 8 ए एवं 8 बी के अनुसार होगी।
- जो विद्यालय अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 का उल्लंघन करता पाया जायेगा उस पर अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं में उल्लेखित शास्ति कानूनी प्रक्रिया अपना कर अधिरोपित की जायेगी।

5. विद्यालय संचालन

❖ निजी विद्यालय अपने नियम एवं व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं लेकिन उन्हें अधिनियम 2009 लागू होने से अब निम्न व्यवस्थायें अपने विद्यालयों में सुनिश्चित करनी होंगी :–

(1) भवन व्यवस्था : सभी मौसम के लिए उपयुक्त भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय –

– सह भंडार– सह प्रधान अध्यापक कक्ष

(ii) बाधा मुक्त पहुंच (Barrier Free Access)

(iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय

(iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल

(v) खेल का मैदान एवं प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपंस्कर (Equipment) प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जायेंगे।

(vi) चार दीवारी या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाऐं।

(vii) आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र

(viii) पुस्तकालय : प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाऐं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।

(2) छात्र–शिक्षक अनुपात :

(अ) प्राथमिक कक्षाओं के लिए छात्र–शिक्षक अनुपात निम्न प्रकार होगा :–

60 तक	–	दो
61–90 के मध्य	–	तीन
91–120 के मध्य	–	चार
121–200 के मध्य	–	पांच
150 बालकों के ऊपर	–	पांच + एक प्रधान अध्यापक
200 बालकों के ऊपर	–	छात्र–शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा।

(ब) उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापकों की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी:-

1 कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो-

(i) विज्ञान और गणित

(ii) सामाजिक अध्ययन

(iii) भाषा

2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक

3. जहां 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां -

(i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक

(ii) अंशकालिक शिक्षण के लिए -

(अ) कला शिक्षा (ब) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (स) कार्य शिक्षा

नोट : उपरोक्त प्रस्तावित भवन और शिक्षकों के मानदण्ड न्यूनतम हैं, निजी विद्यालय अपने आर्थिक स्रोतों के आधार पर इससे अधिक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हैं।

❖ विद्यालय में पदस्थापित होने वाले शिक्षकों की योग्यता अधिनियम 2009 की धारा 23 एवं राज्य नियम के नियम 16 के अनुसार होगी। जो निम्न प्रकार है :-

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित (Laid down) ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं (Qualifications) हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं (Laid down minimum qualifications) रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट (Specified) की जाए :

परन्तु ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं (Laid down minimum qualifications) नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

(3) शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के निबंधन और शर्ते वे होंगी जो विहित की जाएं।

❖ राज्य नियम 2011 के नियम 10 के अनुसार आरक्षित सीटों पर प्रविष्ट किये गये छात्र एवं अन्य छात्रों के मध्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जायेगा। कृपया देखें नियम 10 (1) एवं 10 (2) –

10 (1) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय (referred school) यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक किया जायेगा और न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिये आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जायेंगी।

10 (2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय (referred school) यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक का पाठ्य पुस्तकों, वर्दियों, पुस्तकालय और सूचना, संसूचना और प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) सुविधाओं, अतिरिक्त पाठ्यचर्या और खेलकूदों जैसी हकदारियों (Entitlements) और सुविधाओं के संबंध में किसी भी रीति में शेष बालकों से विभेद नहीं किया जायेगा।

❖ अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड एवं मानसिक उत्पीड़न पूर्णतया प्रतिबंधित है। कृपया देखें धारा 17 –

(1) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही का दायी होगा।

❖ अभिभावकों द्वारा बालकों को अन्य विद्यालयों में पढ़ाने के लिए मांगे जाने वाले स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के लिए मना नहीं किया जायेगा। उन्हें तत्काल टी.सी. उपलब्ध करानी होगी। इसमें विलम्ब के लिए सी.आर. नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

6. परिवेदना निस्तारण (Grievance Redressal)

❖ अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 में उल्लेखित व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही नहीं करने पर अथवा दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्था/व्यक्ति इसके लिए दोषी माने जायेंगे। इन परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए राज्य नियमों में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है :-

1. अध्यापकों के लिए : इस संदर्भ में कृपया नियम 24 (7) का अवलोकन करें जिसके अनुसार प्रत्येक निजी संस्था को अपना स्वयं का तंत्र विकसित करना होगा। यह व्यवस्था संस्था द्वारा पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक की जायेगी।

2. बालकों/माता-पिता के लिए : राज्य सरकार द्वारा परिवेदना निस्तारण के संबंध में दिनांक 23.9.2011 को परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में अधिनियम के अनुसार बालकों को वैधानिक देयता एवं इसके लिए अधिकृत अधिकारी, परिवेदना निस्तारण अधिकारी एवं अपील अधिकारी का पूर्ण उल्लेख है। इसके अनुसार सामान्यतया प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित विद्यालयों के लिये परिवेदना ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित परिवेदना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को प्रस्तुत की जायेगी। इस व्यवस्था को निम्न तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए
1.	परिवेदना प्रस्तुती	बीईईओ / डीईओ (माध्यमिक)	डीईओ (माध्यमिक)
2.	परिवेदना निस्तारण अवधि	विभागीय निर्देशानुसार	विभागीय निर्देशानुसार
3.	अपील	डीईईओ	उप निदेशक (माध्यमिक)
4.	अपील निर्धारण अवधि	एक माह	एक माह

7. रोड मैप

❖ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर.टी.ई. अधिनियम से संबंधित प्रावधानों क
लागू करने के लिए निम्न प्रकार समय सीमा निर्धारित की है:–

गतिविधि	समय सीमा
(1) पड़ौस में विद्यालय की स्थापना	31 मार्च, 2013
(2) विद्यालयों को इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना	31 मार्च, 2013

- सभी मौसमों वाला विद्यालय भवन
- प्रत्येक शिक्षक के लिये कम से कम एक कक्षाकक्ष
- प्रधानाध्यापक कक्ष कम कार्यालय कक्ष
- लाईब्रेरी
- बालक–बालिकाओं के लिए अलग शौचालय
- सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल
- बाधामुक्त पहुंच
- खेल मैदान
- बाउण्ड्रीवाल/फैन्सिंग

(3) मानदण्डानुसार शिक्षक उपलब्ध कराना31 मार्च, 2013

(4) अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण31 मार्च, 2015

(5) गुणवत्ता शिक्षा संबंधी गतिविधि एवं अन्य प्रावधानतत्काल प्रभाव

❖ उपरोक्त रोड मैप की अधिकांश गतिविधियां निजी विद्यालयों पर भी लागू हैं अतः उन्हें भी इस समय
सीमा में अपने से संबंधित कार्यो को विद्यालय में लागू करना होगा।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

School Education Department

F. 21 (19) Edu.-1/E.E./2009 Jaipur, the 29th March, 2011

-: NOTIFICATION :-

In pursuance of clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as "child belonging to disadvantaged group", namely :-

a) The Scheduled castes.
b) The scheduled Tribes.
c) Other Backward classes and Special backward classes where parents' annual income does not exceed ₹ 2.50 lacs, and
d) A child covered under the definition of person with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

By Order of the Governor,
Sd/-
(Ashok Sampatram)
Principal Secretary to Govt.

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय मंजिल, ब्लॉक पाँच, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर